

# फर्द अहकाम

2 मे 2013

बनाम

राजेश कुमार

शाहपुर

ACEM (F.T.) 21/13

260/13

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2011/8	<p>प्राप्त की आज्ञा राजेश कुमार के नाम पर न्यायालय के न्यायाधीश के पास है। प्राप्त की आज्ञा के अन्तर्गत न्यायाधीश द्वारा 23/12/2009 से ज.फ. 078/11 CPC का जवाब देना गरी किया गया। इसके स्पष्ट है कि प्राप्त की आज्ञा में वकील बरि पेशी नहीं कर रहे है। तब प्रमाण के अन्तर्गत में प्रमाण किया जाता है। प्रमाण नम्बर से कम होकर दालिल दख्ता हो।</p>	

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)  
शाहपुर जिला - जयपुर (राज.)